न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 18/2015 अपील (GCMS 2015/00040)
पंजीयन दिनांक– 29.12.2015
निर्णय दिनांक– 27.03.2023

1. श्री हुक्मीचंद नागदा पिता श्री चुन्नीलाल नागदा, निवासी शिवनगर, लक्ष्मी वाटिका, तहसील गिर्वा, जिला उदय

–अपीलांट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये पटवारी/कनिष्ठ अभियंता, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री सचिन जोशी — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिलीप सुथार — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 91–ए नगर सुधार अधिनियम 1959 विरूद्ध तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 208/2015 निर्णय दिनांक 11.12.2015

निर्णय

दिनांक 27.03.2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 91–ए नगर सुधार अधिनियम, 1959 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 208/2015 निर्णय दिनांक 11.12.2015 के विरूद्ध दिनांक 28.12.2015 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यास के जोन पटवारी श्री राजेश मेहता ने दिनांक 06.11.2015 को पंचनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पारडा के आराजी नम्बर 120 का मौका देखा गया। मौके पर उक्त भूमि के कुछ भाग पर श्री हुक्मिचंद नागदा द्वारा रेस्टोरेंट व गार्डन न्यास की

बगैर स्वीकृति बना चला रहे है। मौके से उक्त न्यास की बगैर स्वीकृति चलाये जा रहे व कराये गये निमार्ण को हटाने हेतु कहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 208/2015 निर्णय दिनांक 11.12.2015 से अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर निर्णय की दिनांक से 7 दिवस में निर्माण हटाने का आदेश दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.12.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम पारडा के आराजी नम्बर 120 के कुछ भाग में बिना किसी स्वीकृति एवं बिना रूपांतरण करवाये रेस्टोरेंट का संचालन कर व्यवसायिक उपयोग किया गया है। अप्रार्थी उक्त संचालित व्यवसायिक गतिविधियों का इस निर्णय से 07 दिवस की अवधि में अपने स्तर पर बंद कर एवं हटा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अन्यथा मयाद गुजरने के कभी भी इसे न्यास द्वारा बंद करवाया जावेगा। तथा इसके हर्जे–खर्चे की समस्त वसूली अप्रार्थी से की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी स्वयं की होगी।"***

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन जोशी उपस्थित तथा रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सुथार उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.03.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण अति. सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 2 दक्षिण, उदयपुर में प्रकरण 2851/2015 अनवान श्री हुक्मीचंद

नागदा पिता स्व. चुन्नीलाल नागदा, निवासी पारडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर विचाराधीन होकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाकर उभयपक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक विवादित संपत्ति/भूमि पर मौके की भौतिक स्थिति में तथा दस्तावेजों के संबंध में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत निर्देशित किया गया है। अतः अपील का निस्तारण किया जाकर सिविल न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण के निर्णय अनुसार उभयपक्ष को अग्रिम कार्यवाही कराने के निर्देश बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा दिनांक 11.12.2015 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2015 की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 28.12.2015 को पेश की अंदर मयाद है।

- अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम पारडा के आराजी नम्बर 120 के कुछ भाग में बिना किसी स्वीकृति एवं बिना रूपांतरण करयो रेस्टोरेंट का संचालन कर व्यवसायिक उपयोग किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 208/2015 निर्णय दिनांक 11.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28.12.2015 को अपील प्रस्तुत की गई है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उक्त अपील से संबंधित एक अन्य प्रकरण न्यायालयः– अति सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 2 दक्षिण, उदयपुर में प्रकरण संख्या **C.I.S. No. 2851/2015** अनवान

श्री हुक्मीचंद पिता चुन्नीलाल नागदा, निवासी पारडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर विचाराधीन होकर दिनांक 24.11.2021 से प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर उभयपक्षों को आदेशित किया गया है कि उभयपक्ष मूलवाद के निस्तारण तक विवादित संपत्ति/भूमि पर मौके की भौतिक स्थिति में तथा दस्तावेजों के संबंध में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें जाने का निर्णय पारित किया गया है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार उक्त अपील निर्णित की जाकर उभयपक्षों का निर्देशित किया जाता है कि न्यायालयः– अति सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 2 दक्षिण, उदयपुर में प्रकरण संख्या **C.I.S. No. 2851/2015** अनवान श्री हुक्मीचंद पिता चुन्नीलाल नागदा, निवासी पारडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में उक्त विचाराधीन प्रकरण में मूलवाद के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित करेंगे। मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर